

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका श्रीमती सरोज सिंक्, पति-श्री विनय कुमार सिंक्, ग्राम-केन्दुपोसी, थाना-हाटगम्हरिया, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- हाटगम्हरिया, थाना-428, खाता नं०-05 एवं 90, प्लॉट नं०-1539, 1540 एवं 1541, रकवा-0.06 एकड़, 0.14एकड़ एवं 0.15एकड़ कुल रकवा-0.35 एकड़ भूमि क्रेता श्री वासुदेव लागुरी, पिता-स्व० विक्रम लागुरी, ग्राम-बालान्डिया, थाना- हाटगम्हरिया के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदिका के नाम से खरीदा हुआ है जिसका ना०मु०सं०-01/07-08 एवं 02/07-08 है। आवेदिका का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।

अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-10, दिनांक 09.01.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवारिक चिकित्सा एवं अन्य कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्री वासुदेव लागुरी, पिता-स्व० विक्रम लागुरी, ग्राम-बालान्डिया, थाना- हाटगम्हरिया के पास 5,67,000.00/- (पाँच लाख सड़सठ हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना हाटगम्हरिया के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 5.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदिका श्रीमती सरोज सिंक्, पति-श्री विनय कुमार सिंक्, ग्राम-केन्दुपोसी, थाना-हाटगम्हरिया, क्रेता श्री वासुदेव लागुरी, पिता-स्व० विक्रम लागुरी, ग्राम-बालान्डिया, थाना-हाटगम्हरिया के पास 5,67,000.00/- (पाँच लाख सड़सठ हजार) रुपये में मौजा-हाटगम्हरिया, थाना-428, खाता नं०-05 एवं 90, प्लॉट नं०-1539, 1540 एवं 1541, रकवा-0.06एकड़, 0.14एकड़ एवं 0.15एकड़ कुल रकवा-0.35 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।